हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 48

सोमवार, 02 सितम्बर, 2024/11 भाद्रपद, 1946(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 02.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 02.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल की घोषणा करने से पूर्व ही माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए सदन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात रखने की अनुमति मांगी, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने उन्हें प्रश्नकाल के पश्चात अपनी बात रखने हेतु कहा।

(विपक्ष के कुछेक सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे)

शोरगुल के बीच ही माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल आरंभ करने की घोषणा कर दी।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 1202 व 1610 (स्थगित) 1871, 1873 से 1874 तथा 1876 से 1888 (Not interested) तारांकित प्रश्नः 1872, 1875, 1889 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछा तथा संबंधित मंत्रियों/मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। (**विपक्ष के सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे तथा कुछ क्षण उपरान्त 02.15 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन कर गए।**)

संसदीय कार्यमंत्री (उद्योग मंत्री) ने विपक्ष द्वारा किए गए बहिर्गमन की निन्दा करते हुए कहा कि विपक्ष का इस तरह का व्यवहार उनके दिवालियेपन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का यह वाकआउट केवल पॉलिटिकल ड्रामा है क्योंकि विपक्ष द्वारा जो नियम-274 के तहत प्रस्ताव दिया गया है, यह प्रस्ताव वास्तव में बनता ही नहीं है क्योंकि यह कहीं भी नियमों में नहीं है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से विपक्ष को संदेश दिया कि माननीय अध्यक्ष सत्तापक्ष के बहुमत में होने की वजह से इस आसन पर विराजमान हुए हैं इसलिए विपक्ष को यह प्रस्ताव देने का कोई अधिकार ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि विधान सभा सचिवालय में इस तरह का कोई विषय विचाराधीन नहीं है क्योंकि यह विषय विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमों की परिधि तथा संविधान के अन्तर्गत भी नहीं आता है।

माननीय मुख्य मंत्री ने विपक्ष के बहिर्गमन की निन्दा करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक सत्र है जिसमें पहली दफा 10 बैठकें यह सोचकर रखी गई थी कि सत्तापक्ष और विपक्ष के लोग सभी मुद्दों पर इकट्ठा मिलकर चर्चा करेंगे लेकिन विपक्ष की मंशा यहां केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना है जबकि आज प्रदेश की कानून-व्यवस्था और वित्तीय स्थिति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होनी है। उन्होंने माननीय अध्यक्ष की सदन के संचालन की कला की भी तारीफ की।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"मेरा यह प्रयास रहता है कि जो मुद्दे हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में हों उन्हें चर्चा में लाया जाए। मुद्दे चाहे किसी भी पक्ष की ओर से उठाए गए हों, मैं सभी मुद्दों पर चर्चा करने का सभी को भरपूर समय देता हूं। विपक्ष द्वारा उठाए गए तथ्यों को चर्चा में इसलिए लाया जाना जरूरी होता है क्योंकि जब विपक्ष आवाज उठाएगा तभी सरकार को उसका जवाब देने का मौका मिलेगा। आज जो विषय चर्चा हेतु सूचीबद्ध हैं वे सभी विपक्ष के सदस्यों से संबंधित हैं और वे इन चर्चाओं में भाग लेने के इच्छुक हैं या नहीं, यह उनके ऊपर निर्भर है। परन्तु सदन की कार्यवाही नियमों के अनुरूप ही होगी और जिसकी नियम इजाजत नहीं देंगे, उसके अनुरूप कार्यवाही नहीं होगी। "

तारांकित प्रश्न संख्याः 1890, 1891, 1895, 1898, 1899 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री/मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1892 से 1894 तथा 1896 व 1897 पर सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1900 से 1936 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 407 (स्थगित) तथा 834 से 863 तथा 865 से 870 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्याः 864 विलोप किया गया।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"नियम-67 के अंतर्गत आज 12.46 बजे अपराह्न सर्वश्री जय राम ठाकुर, रणधीर शर्मा, सुख राम चौधरी, विपिन सिंह परमार, सुधीर शर्मा एवं सतपाल सिंह सत्ती की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई

हैं जोकि आज सितम्बर माह की 02 तारीख होने के बावजूद कर्मचारियों के वेतन व पेंशनर्ज को पेंशन न मिलने के कारण आर्थिक दिवालियेपन से संबंधित है। इसी विषय पर दिनांक 28.08.2024 को सर्वश्री केवल सिंह पठानिया, चंद्र शेखर व श्री भवानी सिंह पठानिया, माननीय सदस्यों की ओर से नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जोकि प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर सदन चर्चा करें, से संबंधित है। इस प्रस्ताव को आगामी कार्रवाई हेतु सरकार को प्रेषित किया जा चुका है तथा सरकार से भी इसका उत्तर प्राप्त हो गया है। इस प्रस्ताव पर इसी सत्र में नियम-130 के अंतर्गत चर्चा करवाई जा सकती है और यह प्रस्ताव चर्चा के लिए लिस्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियमावली के नियम-69 के उप-नियम-6 के अंतर्गत- the motion shall not anticipate a matter, which has been previously appointed for consideration. In determining whether a discussion is out of order on the ground of anticipation, regard shall be held by the Speaker to the probability of the matter anticipated being brought before the House within a reasonable time. अतः इस स्थगन प्रस्ताव पर अविलम्ब चर्चा करवाने का कोई औचित्य नहीं रहता। यद्यपि जिन्होंने यह प्रस्ताव यहां लाया है वे भी इस माननीय सदन में अभी मौजूद नहीं है। Therefore, I am rejecting this Motion and we will discuss it under Rule 130 later."

माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि वैसे तो इस बारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा सही व्यवस्था दे दी गई है परन्तु नियम-67 के तहत प्रस्ताव तभी लाया जाता है जब किसी जरूरी या किसी स्पेसिफिक विषय पर तुरन्त चर्चा करने की आवश्यकता हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल दिखावे के लिए नियम-67 के तहत चर्चा मांग रहा है।

इस पर **माननीय अध्यक्ष** ने कहा कि उनका भी कंसर्न यही था कि नियम-67 में प्रस्ताव लाने के बाद उसका उल्लेख न करना और तरह-तरह की बातें करना जिसका संबंध न ही माननीय सदन के अंदर हुई चर्चाओं से है तथा न ही नियमों के अनुरूप है तो इससे विपक्ष की प्रदेश की जनता के मुद्दों के प्रति

लापरवाही साफ झलकती है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी सत्तापक्ष से ज्यादा बनती है क्योंकि वे सत्ता में पांच वर्ष तक रहे हैं इसलिए उनको पिछले पांच वर्षों का जवाब भी देना है और वर्तमान सत्ता के अन्दर उन्हें लगता है कि कहीं कोई कमी रही है तो उसके सुधार हेतु भी उन्हें यहां पर सुझाव देने हैं। I don't think they are concerned about the Himachal Pradesh issue.

संसदीय कार्य मंत्री(उद्योग मंत्री) ने माननीय राजस्व मंत्री की बात से सहमति जताते हुए कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के दिवालियेपन की स्थिति है कि एक तरफ ये नियम-67 के अन्तर्गत नोटिस दे रहे हैं परन्तु सदन में उस पर चर्चा की मांग नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोई दूसरा ही मुद्दा लेकर आ गए हैं जिस पर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने विपक्ष के इस व्यवहार को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा कि जब-जब विपक्ष के लोग बोलने के लिए उठेंगे तब-तब माननीय अध्यक्ष अनुमति देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई गलत कार्य नहीं किया है। सरकार और मुख्य मंत्री जी हिमाचल प्रदेश के हित में कार्य कर रहे हैं तथा हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर व संपन्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से भी सरकार के सहयोग की अपील की।

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्या 35) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24; और

(ii) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24।

(2) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, संयुक्त निदेशक, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः इन्ड-ए(ए)3-6/2023, दिनांक 16.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.02.2024 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री राजेश धर्माणी, नगर और ग्राम योजना मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः टीपीटी-ए(3)-4/2013-I, दिनांक 10.11.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.11.2023 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3-ग की उप-धारा (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा हिमाचन प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 से संलग्न अनुसूची-III के संशोधन, जोकि अधिसूचना संख्याः टीपीटी-ए(3)-7/2019-II, दिनांक 06.01.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.01.2024 को प्रकाशित।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

श्री नन्द लाल, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2020-21) पर बने 38वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन योजना से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 15वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2019-20) पर बने 29वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम तथा समेकित बाल संरक्षण योजना से सम्बन्धित है।

4. <u>विधायी कार्य</u>

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-25) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री राजेश धर्माणी, नगर और ग्राम योजना मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-5) पुरःस्थापित हुआ।

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

नियम-130 के अन्तर्गत दिनांक 27.08.2024 को प्रस्तुत प्रस्ताव **"प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जन-मानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे"** पर आगे चर्चा जारी-

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया-

1. श्री विक्रमादित्य सिंह, माननीय लोक निर्माण मंत्री
2. श्री संजय रत्न
3. श्री सुरेश कुमार

(03.55 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न सभापति पदासीन हुए।)

4. श्री अजय सोलंकी

(04.15 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

5. श्री सुदर्शन सिंह बबलू

माननीय राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय राजस्व मंत्री द्वारा अपने उत्तर में चन्द्रताल लेक के संदर्भ में बात करने पर माननीय मुख्य मंत्री ने पिछले वर्ष आपदा के समय चन्द्रताल में माननीय राजस्व मंत्री तथा श्री संजय अवस्थी, मुख्य संसदीय सचिव द्वारा वहां से लोगों का रेस्क्यू करने के लिए सराहना की। इसके अलावा उन्होंने समेज में आई आपदा के समय माननीय राजस्व मंत्री की वहां 12 घण्टों के भीतर-भीतर पहुंचने पर भी प्रशंसा की।

माननीय अध्यक्ष ने अवगत करवाया कि नियम-130 के अन्तर्गत आज की कार्यसूची में चर्चा हेतु सर्वश्री त्रिलोक जम्वाल, बलबीर सिंह वर्मा, सुख राम चौधरी व श्री राकेश जम्वाल की ओर से "प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर यह सदन विचार करे", विषय को सूचीबद्ध किया गया था परन्तु सभी माननीय सदस्यगण सदन में चर्चा हेतु उपस्थित नहीं हैं जिससे यह आभास होता है कि

जो विषय उनके द्वारा चर्चा हेतु दिया गया है, उस पर चर्चा करने हेतु वे सभी गम्भीर नहीं है। अतः सदन में संबंधित माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण विषय ड्रॉप किया गया।

05.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक मंगलवार, 03 सितम्बर, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।